

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एस-65/2017/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती साली पी.ए., नर्स-2, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	सम्बन्धित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बेन्ड	देय पे ग्रेड
1	श्रीमती साली पी.ए., नर्स-2	प्राधानाचार्य सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01.04.99	01.04.08 09 वर्ष	9300-34800	3600
				01.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400

नोट:- उक्त कार्रमिका के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश इन पर लागू नहीं होगा।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 11-1-2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एलएचवी/एस-65/2017/ 54

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
2. संबन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर